न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 32/2016 आ0नि0

1. बजरंग पुत्र धन्ना लुहार निवासी अखेराम का खेडा तहसील जहाजपुर	बनाम	1. बजरंग लाल पिता उंकार मीणा निवासी अखेराम जी का खेडा तहसील जहाजपुर 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर 3. श्रीमती मंजू देवी पत्नी शैतान मीणा निवासी अखेराम जी खेडा तहसील जहाजपुर
–प्रार्थीगण		– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवंटन निरस्तीकरण नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970

उपस्थित –

1. श्री मनीष कांटिया अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री रमेश चेचाणी अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 10-6-.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि ग्राम अखेराम जी का खेडा, पटवार हल्का अमरगढ तहसील जहाजपुर में खसरा नं. 9 रकबा 6 बीघा भूमि वर्तमान में बजरंगलाल पिता उंकार मीणा के नाम पर दिनांक 09.02.1987 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया है जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। आवंटन कमेटी द्वारा कब्जे काश्त एवं मौके की जांच किये बिना आवंटन किया गया हैं। आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा वर्षों से चला आ रहा हैं। विपक्षी सं. 01 भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता हैं। आवंटन पश्चात् विपक्षी सं. 01 ने आवंटन नियमों व शर्तो की पालना नही की गयी। निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बजरंगलाल पिता उंकार मीणा के नाम हुए आवंटन दिनांक 09.02.1987 को अपास्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र दिनांक 03.03.2016 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए।

प्रकरण में प्रार्थीया श्रीमती मंजू देवी पत्नी शैतान मीणा निवासी अखेराम जी का खेडा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का प्रस्तुत किया। जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की सुनवाई की जाकर दिनांक 20.07.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि ग्राम अखेराम जी का खेडा, पटवार हल्का अमरगढ तहसील जहाजपुर में खसरा नं. 9 रकबा 6 बीघा भूमि वर्तमान में बजरंगलाल पिता उंकार मीणा के नाम पर दिनांक 09.02.1987 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया है जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। आवंटन कमेटी द्वारा कब्जे काश्त एवं मौके की जांच किये बिना आवंटन किया गया हैं। आवंटित भूमि पर

प्रार्थी का कब्जा वर्षों से चला आ रहा हैं। विपक्षी सं. 01 भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता हैं। आवंटन पश्चात् विपक्षी सं. 01 ने आवंटन नियमों व शर्तों की पालना नही की गयी। आवंटन पत्रावली के दस्तावेजों में फेरबेदल किया हैं। बख्तावर के स्थान पर बजरंग नाम अंकित किया गया हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बजरंगलाल पिता उंकार मीणा के नाम हुए आवंटन दिनांक 09.02.1987 को अपास्त किया जावे।

विपक्षी सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नही रहा हैं। आवंटन सलाहकार कमेटी द्वारा विधिवत रूप से भूमि आवंटन कर कब्जा सुपुर्द किया हैं। विपक्षीगण सद्भावी काश्तकार हैं। विपक्षीगण ने आवंटन शर्तों की पालना की है। नियम 18, कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम के अनुसार आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् आवंटी को स्वत: खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने का प्रावधान हैं। इस प्रकार आवंटन के 29 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया, जो सारहीन होने से खारिज योग्य हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि आवंटन पत्रावली संख्या 2097/83 उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर से श्री बजरंग लाल पुत्र उंकार मीणा निवासी अखेराम जी का खेडा ने भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें ग्राम अखेराम जी का खेडा के आराजी नं. 9 रकबा 5 बीघा के भूमि आवंटन चाही गयी। पटवारी रिपोर्ट में प्रार्थी के नाम 10 बीघा भूमि असिंचित होना अंकित किया। इसके उपरान्त भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रार्थी के नाम पर आराजी नं. 9 में से 6 बीघा भूमि आवंटन की गयी हैं। इस प्रकार 16 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज हो जाने से अधिकतम सीमा 15 बीघा से अधिक भूमि आवंटन करना फोड व मिसरिप्रजेंटेशन की परिभाषा में आ जाने से आवंटन निरस्त योग्य हैं। आवंटी को आवंटन अतिक्रमण होने के आधार पर किया जो विधि विरूद्व हैं। आवंटन कमेटी द्वारा अतिक्रमण को बढावा दिया गया हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 12 की स्पष्ट उल्लंघना होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता हैं।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 का स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी के नाम ग्राम अखेराम जी का खेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा के आराजी नं0 9 रकबा 6 बीघा पर भूमि पर किये गये आवंटन को राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 12 की स्पष्ट उल्लंघना होने से निरस्त किया जाता है। तहसीलदार जहाजपुर आराजी नं. 9 रकबा 6 बीघा भूमि को राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज कर कब्जे सरकार लेवे। निर्णय की प्रति तहसीलदार जहाजपुर को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18-6-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर
अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा